



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-V

दिनांक- 12.05.2026

मिशन शक्ति 5.0-जागरूकता ही कवच है, सुरक्षित हर पल, सशक्त हर भविष्य।

थाना बंधरा पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत ग्राम दुदैयाखेड़ा के मजरा कुरौंनी थाना बंधरा में जाकर महिलाओं/बालिकाओं एवं पुरुषों को साइबर सुरक्षा, मिशन शक्ति अभियान के तहत बाल एवं महिला से सम्बंधित पुलिस हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, साइबर क्राइम, यूपी कॉप एप के बारे में किया जागरूक।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान एक सराहनीय कदम है जो महिला सशक्तिकरण के संदेश को देश के कोने-कोने तक पहुँचाने में मदद कर रहा है। यह न केवल महिलाओं को उनकी शक्ति का अहसास कराता है बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज के निर्माण की नींव रखता है।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक, 01 अतिरिक्त निरीक्षक, 01 उपनिरीक्षक, 01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोजक/आयोजन स्थल

- महिला उपनिरीक्षक गुलाब कली, थाना बंधरा लखनऊ कमिश्नरेट
- उपनिरीक्षक रमेश चंद्र, थाना बंधरा लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी मीनू अग्निहोत्री, थाना बंधरा लखनऊ कमिश्नरेट
- ग्राम दुदैयाखेड़ा के मजरा कुरौंनी थाना बंधरा में

प्रतिभाग-

- महिला उपनिरीक्षक गुलाब कली, थाना बंधरा लखनऊ कमिश्नरेट
- उपनिरीक्षक रमेश चंद्र, थाना बंधरा लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी मीनू अग्निहोत्री, थाना बंधरा लखनऊ कमिश्नरेट
- ग्राम दुदैयाखेड़ा के मजरा कुरौंनी थाना बंधरा में जाकर महिलाओं/बालिकाओं पुरुषों एवं लोगों को किया गया जागरूक।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित **मिशन शक्ति फेज-5 अभियान** एवं श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नर लखनऊ के निर्देशन तथा उच्चाधिकारीगण द्वारा दिए गए आदेश-निर्देशों के क्रम में आज दिनांक **12.05.2026** को थाना बंधरा पुलिस द्वारा ग्राम **दुदैयाखेड़ा** के मजरा **कुरौनी** में महिलाओं एवं बच्चों को जागरूक करने हेतु विशेष अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान बच्चों, महिलाओं एवं आमजन को **महिला सुरक्षा, महिला सम्मान एवं महिला सशक्तिकरण** के प्रति जागरूक करते हुए विभिन्न पुलिस हेल्पलाइन नंबरों जैसे **112 आपातकालीन सेवा, 1090 महिला पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन** सहित अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी।

इसके अतिरिक्त पुलिस टीम द्वारा **महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति केंद्र, यूपी कॉप एप** एवं साइबर अपराध से बचाव के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी। महिलाओं एवं बच्चों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, सोशल मीडिया फ्रॉड एवं अन्य साइबर अपराधों से सतर्क रहने हेतु जागरूक करते हुए **साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930** के बारे में भी अवगत कराया गया।

जागरूकता कार्यक्रम के दौरान आमजन को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न **जनकल्याणकारी योजनाओं** जैसे शिक्षा, बैंकिंग सुविधा, विधवा पेंशन योजना एवं अन्य लाभकारी योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी देकर जागरूक किया गया। साथ ही महिलाओं एवं बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या अथवा आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता लेने हेतु प्रेरित किया गया।

थाना बंधरा पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है।

कार्यक्रम के उद्देश्य

1. कानूनी जागरूकता

महिलाओं को उन आचरणों एवं व्यवहारों की जानकारी दी गई जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। उन्हें अपने अधिकारों एवं कानूनी सीमाओं के प्रति जागरूक किया गया ताकि वे आत्मरक्षा और न्याय की दिशा में सशक्त बन सकें।

2. साइबर सुरक्षा एवं ऑनलाइन जागरूकता

महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए। उन्हें यह समझाया गया कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी या बैंक संबंधी जानकारी साझा न करें, और किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करें।

3. सहायता केंद्रों की जानकारी

थाना स्तर पर संचालित महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, एवं मिशन शक्ति केंद्र की उपलब्ध सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। महिलाओं को बताया गया कि वे इन केंद्रों से सहायता, परामर्श एवं शिकायत दर्ज करने हेतु संपर्क कर सकती हैं।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-III

दिनांक- 12.05.2026

मिशन शक्ति 5.0-"सुरक्षित समाज की पहचान – सशक्त महिला, जागरूक इंसान!"

थाना बिजनौर पुलिस द्वारा बेसिक विद्यालय औरंगाबाद में मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, छात्राओं एवं बच्चों को महिला सुरक्षा एवं हेल्पलाइन नंबरों की दी गयी विस्तृत जानकारी

मिशन शक्ति 5.0 अभियान एक सराहनीय कदम है जो महिला सशक्तिकरण के संदेश को देश के कोने-कोने तक पहुँचाने में मदद कर रहा है। यह न केवल महिलाओं को उनकी शक्ति का अहसास कराता है बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज के निर्माण की नींव रखता है।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक, 01 अतिरिक्त निरीक्षक, 01 उपनिरीक्षक, 01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोजक/आयोजन स्थल

- महिला उपनिरीक्षक आराधना वर्मा थाना बिजनौर लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी अमृता प्रतिभा थाना बिजनौर लखनऊ कमिश्नरेट
- बेसिक विद्यालय औरंगाबाद थाना क्षेत्र बिजनौर।

प्रतिभाग-

- महिला उपनिरीक्षक आराधना वर्मा थाना बिजनौर लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी अमृता प्रतिभा थाना बिजनौर लखनऊ कमिश्नरेट
- बेसिक विद्यालय औरंगाबाद थाना क्षेत्र बिजनौर में जाकर छात्राओं एवं बच्चों को जागरूक किया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति फेज-5 अभियान एवं श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट लखनऊ के निर्देशन तथा उच्चाधिकारीगण द्वारा दिए गए आदेश-निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 12/05/2026 को थाना बिजनौर जनपद लखनऊ द्वारा बेसिक विद्यालय औरंगाबाद में महिलाओं एवं बच्चों को जागरूक करने हेतु विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं, छात्राओं एवं बच्चों को महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक करते हुए विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे 112 आपातकालीन सेवा, 1090 महिला पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सहित अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी।

इसके अतिरिक्त महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति अभियान, यूपी कॉप एप एवं साइबर अपराध से बचाव के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी। महिलाओं एवं बच्चों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, सोशल मीडिया फ्रॉड एवं साइबर अपराधों से सतर्क रहने हेतु जागरूक करते हुए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में भी अवगत कराया गया।

जागरूकता कार्यक्रम के दौरान पुलिस टीम द्वारा बच्चों एवं छात्राओं को किसी भी प्रकार की समस्या, उत्पीड़न अथवा आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता लेने हेतु प्रेरित किया गया तथा सुरक्षा सम्बन्धी पम्पलेट वितरित कर आमजन को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के उद्देश्य

1. कानूनी जागरूकता

महिलाओं को उन आचरणों एवं व्यवहारों की जानकारी दी गई जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। उन्हें अपने अधिकारों एवं कानूनी सीमाओं के प्रति जागरूक किया गया ताकि वे आत्मरक्षा और न्याय की दिशा में सशक्त बन सकें।

2. साइबर सुरक्षा एवं ऑनलाइन जागरूकता

महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए। उन्हें यह समझाया गया कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी या बैंक संबंधी जानकारी साझा न करें, और किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करें।

3. सहायता केंद्रों की जानकारी

थाना स्तर पर संचालित महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, एवं मिशन शक्ति केंद्र की उपलब्ध सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। महिलाओं को बताया गया कि वे इन केंद्रों से सहायता, परामर्श एवं शिकायत दर्ज करने हेतु संपर्क कर सकती हैं।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-IV

मिशन शक्ति फेज-5 के तहत थाना सरोजनीनगर पुलिस लगातार चला रही जागरूकता अभियान - महिलाओं को घरेलू हिंसा, महिला सुरक्षा एवं साइबर अपराध से बचाव के प्रति किया गया जागरूक

दिनांक-12.05.2026

थाना सरोजनीनगर की टीम ने मिशन शक्ति के तहत थानाक्षेत्र सरोजनीनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर बालिकाओं व महिलाओं को पिंग बूथ, महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति केंद्र की जानकारी देकर किया गया जागरूक।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक, 01 अतिरिक्त निरीक्षक, 01 उपनिरीक्षक, 01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

थाना सरोजनीनगर की टीम द्वारा मिशन शक्ति के तहत एक महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें राहगीर महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया। इस दौरान महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई और साथ ही उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव के उपायों से अवगत कराया गया।

आयोजक/ अयोजन स्थल

- महिला उपनिरीक्षक पूजा यादव, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला उपनिरीक्षक सुष्मिता सिंह, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ कमिश्नरेट
- म0का0 सविता थाना सरोजनीनगर, लखनऊ कमिश्नरेट
- म0का0 सुनीता थाना सरोजनीनगर, लखनऊ कमिश्नरेट मय एंटी रोमियो टीम
- थानाक्षेत्र सरोजनीनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में

प्रतिभाग-

- महिला उपनिरीक्षक पूजा यादव, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला उपनिरीक्षक सुष्मिता सिंह, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ कमिश्नरेट
- म0का0 सविता थाना सरोजनीनगर, लखनऊ कमिश्नरेट
- म0का0 सुनीता थाना सरोजनीनगर, लखनऊ कमिश्नरेट मय एंटी रोमियो टीम
- थानाक्षेत्र सरोजनीनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरोजनीनगर में जाकर जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति फेज-5 अभियान एवं श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नर लखनऊ के निर्देशन तथा उच्चाधिकारीगण द्वारा दिए गए आदेश-निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 12/05/2026 को थाना सरोजनीनगर पुलिस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरोजनीनगर में महिलाओं को जागरूक करने हेतु विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को महिला सुरक्षा, महिला सम्मान एवं महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूक करते हुए घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न एवं आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता प्राप्त करने के विभिन्न माध्यमों की विस्तृत जानकारी दी गयी।

पुलिस टीम द्वारा महिलाओं को 1090 वूमेन पावर हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 112 आपातकालीन सेवा, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 101 अग्निशमन सेवा एवं 1930 साइबर हेल्पलाइन सहित अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त महिलाओं को महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, एंटी रोमियो टीम, यूपी डायल-112 एवं साइबर अपराधों से बचाव के सम्बन्ध में जागरूक करते हुए ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, सोशल मीडिया फ्रॉड एवं साइबर अपराध से सतर्क रहने हेतु प्रेरित किया गया।

जागरूकता कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को किसी भी प्रकार की समस्या अथवा उत्पीड़न की स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता लेने एवं हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया गया। पुलिस टीम द्वारा सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी साझा करते हुए जागरूकता पम्पलेट भी वितरित किए गए।

थाना सरोजनीनगर पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है।

कार्यक्रम के उद्देश्य

1. कानूनी जागरूकता

महिलाओं को उन आचरणों एवं व्यवहारों की जानकारी दी गई जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। उन्हें अपने अधिकारों एवं कानूनी सीमाओं के प्रति जागरूक किया गया ताकि वे आत्मरक्षा और न्याय की दिशा में सशक्त बन सकें।

2. साइबर सुरक्षा एवं ऑनलाइन जागरूकता

महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए। उन्हें यह समझाया गया कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी या बैंक संबंधी जानकारी साझा न करें, और किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करें।

3. सहायता केंद्रों की जानकारी

थाना स्तर पर संचालित महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, एवं मिशन शक्ति केंद्र की उपलब्ध सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। महिलाओं को बताया गया कि वे इन केंद्रों से सहायता, परामर्श एवं शिकायत दर्ज करने हेतु संपर्क कर सकती हैं।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ मिशन शक्ति बुलेटिन-I

दिनांक- 12.05.2026

मिशन शक्ति 5.0-"शिक्षा की रोशनी, सुरक्षा की शक्ति, मदेयगंज पुलिस के साथ मिशन शक्ति!"

थाना मदेयगंज टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत डालीगंज क्रॉसिंग पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर महिला/पुरुष, छात्र-छात्राएं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबर, साइबर अपराध, सरकारी योजनाओं, महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक करके यातायात एवं यूपी-कॉप के बारे में जानकारी देकर किया जागरूक।

मिशन शक्ति 5.0 उत्तर प्रदेश सरकार की एक अभूतपूर्व पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा, शिक्षा, स्वावलम्बन और सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित और सक्षम बनाना है। यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण के लिए एक समग्र अभियान है।

उत्तर प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार, पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट लखनऊ के मार्गदर्शन में 22 सितंबर 2025 से 'मिशन शक्ति 5.0' का विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान नारी सशक्तिकरण को एक नई दिशा और गति प्रदान कर रहा है।

लखनऊ पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जनपद के सभी 54 थानों में विशेष 'मिशन शक्ति केन्द्र' स्थापित किए हैं। यह निर्णय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर, पुलिस आयुक्त, लखनऊ के मार्गदर्शन में "मिशन शक्ति 5.0" के तहत लिया गया है।

आयोजक/आयोजन स्थल-

- म0हे0का0 पूनम सिंह थाना मदेयगंज लखनऊ कमिश्नरेट।
- म0हो0गा0 ज्योति यादव थाना मदेयगंज लखनऊ कमिश्नरेट।
- म0आ0 आंचल सिंह थाना मदेयगंज लखनऊ कमिश्नरेट।
- म0का0 अर्चना पटेल थाना मदेयगंज लखनऊ कमिश्नरेट।
- थाना मदेयगंज पुलिस द्वारा डालीगंज क्रॉसिंग पर कार्यक्रम आयोजित

प्रतिभाग-

- म0हे0का0 पूनम सिंह थाना मदेयगंज लखनऊ कमिश्नरेट।
- म0हो0गा0 ज्योति यादव थाना मदेयगंज लखनऊ कमिश्नरेट।
- म0आ0 आंचल सिंह थाना मदेयगंज लखनऊ कमिश्नरेट।
- म0का0 अर्चना पटेल थाना मदेयगंज लखनऊ कमिश्नरेट।
- थाना मदेयगंज पुलिस द्वारा डालीगंज क्रॉसिंग पर कार्यक्रम आयोजित -महिला/पुरुष, छात्र-छात्राएं एवं पुलिस टीम की सक्रिय भागीदारी

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति फेज-5 अभियान के तहत थाना मदेयगंज पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को किया गया

जागरूक

माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति फेज-5 अभियान एवं श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नर लखनऊ के निकट पर्यवेक्षण तथा उच्चाधिकारीगण द्वारा दिये गये आदेश-निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 12.05.2026 को थाना मदेयगंज क्षेत्रान्तर्गत मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया गया।

इस दौरान थाना मदेयगंज की मिशन शक्ति पिंक स्कूटी एवं एंटी रोमियो टीम की महिला पुलिसकर्मियों द्वारा डालीगंज क्रॉसिंग क्षेत्र में महिलाओं, बालिकाओं एवं आमजन को महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान म0हे0का0 पूनम सिंह, म0का0 अर्चना पटेल, म0आ0 आंचल सिंह एवं म0हो0गा0 ज्योति यादव द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को राज्य सरकार एवं पुलिस विभाग द्वारा संचालित विभिन्न महिला एवं आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1090 (महिला पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 112 (आपातकालीन सेवा), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन), 1930 (साइबर हेल्पलाइन), 101 (अग्निशमन सेवा), 102 एवं 108 (एम्बुलेंस सेवा) आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी।

इसके अतिरिक्त महिलाओं एवं बालिकाओं को एंटी रोमियो टीम, पिंक स्कूटी एवं महिला शक्ति केंद्र की कार्यप्रणाली एवं उनसे प्राप्त होने वाली सहायता के बारे में भी विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान पम्पलेट वितरित कर महिलाओं को किसी भी प्रकार की समस्या, उत्पीड़न अथवा आपात स्थिति में तत्काल हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया गया।

थाना मदेयगंज पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है।

मिशन शक्ति 5.0: एक संक्षिप्त विवरण

मिशन शक्ति 5.0 उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जाने वाला एक विशेष अभियान है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, जागरूकता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है।

मुख्य कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य:

- महिलाओं एवं छात्राओं को यौन उत्पीड़न, साइबर अपराध, घरेलू हिंसा जैसे अपराधों से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया गया।
- राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे 112, 1090 (वूमेन पावरलाइन), 181, 1098, 1076, 1930, 101, 102, 108 आदि की जानकारी प्रदान की गई।
- छात्राओं को शिक्षा के महत्व एवं उनके शैक्षिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों एवं संरक्षण प्रदान करने वाले कानूनों, जैसे POCSO अधिनियम, के बारे में बताया गया।
- एंटी रोमियो टीम, पिंक बूथ, पिंक मोबाइल एवं महिला शक्ति केंद्र की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०- 781

दिनांक-12.05.2026

जोन- दक्षिणी/थाना-पीजीआई

- थाना पीजीआई से गांजा की तस्करी करने वाले 01 शातिर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.12.2025 को फर्ड बरामदगी 3.2 किलोग्राम अवैध गांजा व 1,42,200/- रुपए नकद के आधार थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 618/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व बढोत्तरी धारा 29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसमें 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजे गये थे उनका सहयोगी अभियुक्त अनुप कुमार बरनवाल उर्फ सचिन पुत्र रामफेर बरनवाल मूल निवासी वार्ड नं० – 07 अटल नगर जगन्नाथपुर थाना लम्भुआ नगर पंचायत लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर उम्र 35 वर्ष व हालपता – मकान सं० – 911 बरौली खलीलाबाद वृन्दावन योजना थाना पीजीआई लखनऊ उपरोक्त मुकदमे मे वांछित चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे थे।

विवेचना के क्रम में ज्ञात हुआ कि अनुप कुमार बरनवाल उर्फ सचिन पुत्र रामफेर बरनवाल गिरफ्तार अभियुक्तगणों के साथ मिलकर गांजे को खरीद कर लाता था व उसे चोरी छिपे बेचता था, आज दिनांक 12.05.2026 को उ०नि० अर्पित सिंह, का० संदीप यादव व का० सागर सिंह थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर चिरैयाबाग अण्डरपास के पास से अभियुक्त अनुप कुमार बरनवाल उर्फ सचिन पुत्र रामफेर बरनवाल मूल निवासी वार्ड नं० – 07 अटल नगर जगन्नाथपुर थाना लम्भुआ नगर पंचायत लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर हालपता –मकान सं० –911 बरौली खलीलाबाद वृन्दावन योजना थाना पीजीआई लखनऊ उपरोक्त को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

02-पूछताछ विवरण एवं माड्यूस आपरेंडी-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त एक अभ्यस्त अपराधी है जो अवैध शराब व अन्य मादक पदार्थ की तस्करी करता एवं करवाता है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर कई मुकदमे पंजीकृत है अभियुक्त उपरोक्त द्वारा बताया गया पहले मै गांजा बेचता था पर अब गांजा बेचने वालो को गांजा उपलब्ध कराता हूँ।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. अनुप कुमार बरनवाल उर्फ सचिन पुत्र रामफेर बरनवाल मूल निवासी वार्ड नं० – 07 अटल नगर जगन्नाथपुर थाना लम्भुआ नगर पंचायत लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर हालपता –मकान सं० –911 बरौली खलीलाबाद वृन्दावन योजना थाना पीजीआई लखनऊ।

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

01- मु०अ०सं० 618/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व बढोत्तरी धारा 29 एनडीपीएस एक्ट थाना पीजीआई लखनऊ।

05-आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0930/2018 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 0287/2020 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 0288/2020 धारा 188,269,271 भादवि थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।
4. मु0अ0सं0 0581/2020 धारा 147/323,427,504,506 भादवि व 3(1)(घ)/3(1)(द) sc/st act थाना पीजीआई लखनऊ।
5. मु0अ0सं0 0974/2020 धारा 323,504,506 भादवि थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।
6. मु0अ0सं0 0528/2025 धारा 351(3),352 बीएनएस थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।
7. मु0अ0सं0 176/2024 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना पीजीआई लखनऊ।
8. मु0अ0सं0 476/2023 धारा 8/20/25/29 एनडीपीएस एक्ट थाना सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- कोतवाली पीजीआई पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-777
दिनांक-11.05.2026

जोन-उत्तरी/थाना- मलिहाबाद

- थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाले 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल लोहे की पाइप बरामद की गयी।
- थाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के भीतर घटना का सफल अनावरण, अभियुक्त गिरफ्तार।

01- संक्षिप्त विवरण

थाना मलिहाबाद पर दिनांक 11.05.2026 को वादिनी श्रीमती हेमा पत्नी अजय कुमार जायसवाल उर्फ रिंकू जायसवाल निवासी मोहल्ला सैय्यदबाड़ा कस्बा व थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ द्वारा सूचना दी गयी कि उनके पति अजय कुमार जायसवाल उर्फ रिंकू जायसवाल, जो ग्राम ढेढेमऊ स्थित देशी शराब ठेका पर सेल्समैन का कार्य करते थे, को अभियुक्त नन्हक्के कश्यप पुत्र स्व0 रामस्वरूप निवासी ग्राम ढेढेमऊ थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ द्वारा लोहे की पाइप से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी।

बीच-बचाव करने आये रज्जन लाल पुत्र मिश्रीलाल निवासी ग्राम पुरवा थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ को भी अभियुक्त द्वारा मारपीट कर घायल कर दिया गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना मलिहाबाद पर तत्काल मु0अ0सं0- 97/26 धारा 103(1)/109(1) बीएनएस बनाम नन्हक्के कश्यप पुत्र स्व0 रामस्वरूप निवासी ग्राम ढेढेमऊ थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ पंजीकृत किया गया।

विवेचना एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित कर लगातार प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम में दिनांक 11.05.2026 को थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त नन्हक्के कश्यप पुत्र स्व0 रामस्वरूप निवासी ग्राम ढेढेमऊ थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ को समदा तालाब कस्बा मलिहाबाद के पास से समय करीब 19:30 बजे गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त की निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद लोहे की पाइप ग्राम ढेढेमऊ में उमेश रावत के घर के पास तालाब किनारे छिपाया गया था आलाकत्ल लोहे की पाइप अभियुक्त उपरोक्त की निशांदाही पर ग्राम ढेढेमऊ में उमेश रावत के घर के पास तालाब किनारे से बरामद होने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 238 बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। थाना मलिहाबाद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही निरंतर जारी है।

02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि वह दिनांक 11.05.2026 को प्रातः शराब खरीदने हेतु ग्राम ढेढेमऊ स्थित देशी शराब ठेके पर गया था, जहां ठेका बंद होने की बात को लेकर सेल्समैन अजय कुमार जायसवाल उर्फ रिकू जायसवाल से विवाद हो गया। इसी बात से आक्रोशित होकर अभियुक्त द्वारा पास में पड़ी लोहे की पाइप से अजय कुमार जायसवाल उर्फ रिकू जायसवाल के सिर पर कई वार किये गये, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी।

बीच-बचाव करने आये रज्जन लाल को भी अभियुक्त द्वारा लोहे की पाइप से मारपीट कर घायल कर दिया गया। घटना के बाद अभियुक्त द्वारा आलाकत्ल लोहे की पाइप को तालाब किनारे छिपा दिया गया था, जिसे अभियुक्त की निशांदाही पर बरामद किया गया।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

01- मु0अ0सं0- 97/26 धारा 103(1)/109(1)/238 बीएनएस थाना मलिहाबाद कमिश्नरेट लखनऊ ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व व्यवसाय नन्हक्के कश्यप पुत्र स्व0 रामस्वरूप निवासी ग्राम ढेढेमऊ थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ उम्र करीब 45 वर्ष (मजदूरी -व्यवसाय) ।

05-बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे की पाइप।

06-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम थाना मलिहाबाद लखनऊ

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह भाटी थाना मलिहाबाद कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना मलिहाबाद कमिश्नरेट लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री अनिल कुमार गौतम थाना मलिहाबाद कमिश्नरेट लखनऊ।
4. का0 उत्तम राठी थाना मलिहाबाद कमिश्नरेट लखनऊ।
5. का0 सुशील कुमार थाना मलिहाबाद कमिश्नरेट लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-776

दिनांक-12.05.2026

जोन-उत्तरी/थाना- मडियांव, लखनऊ

- थाना मडियांव की पुलिस टीम द्वारा ई-रिक्शा, टैपो में बैठी सवारियों के बैग से कीमती सामान व गहने चोरी करने वाले 02 नफर अभियुक्त व 03 नफर अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।
- पकड़े गये अभियुक्तगण से चोरी के 01 गले का हार पीली धातु, 02 चैन पीली धातु की, 02 मंगलसूत्र पीली धातु के, 01 माथे का टीका पीली धातु, 01 अदद अंगुठी पीली धातु, 01 जोड़ी कान के टप्स पीली धातु व नगद 29400/- रुपये हुए बरामद।

01- संक्षिप्त विवरण

दिनांक 11.05.2026 को थाना मडियांव लखनऊ की पुलिस टीम भिठौली तिराहे पर पर मामूर थी। कि मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुई कि कि आपके थाना क्षेत्र में हुई ई-रिक्शा, टैपो आदि सवारी गाडियों में सवारियों के साथ घटित चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित कुछ संदिग्ध व्यक्ति व महिलाएं नौबस्ता मोड से रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाली रोड़ के पास दिखायी दिये हैं। जिनके पास बैग हैं। यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते है।

मुखबिर खास की सूचना पर उसके द्वारा बताये गये व्यक्तियों/महिलाओं को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों/महिलाओं से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम 1. जय प्रकाश उर्फ जैकी पुत्र हीरालाल निवासी वार्ड नं0- 11 सतीश एडवोकेट हाउस के पास थाना हथीन जिला पलवल राज्य हरियाणा अस्थायी पता मल्हौर रेलवे स्टेशन के पास चिनहट लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष 02. मनोज कुमार उर्फ जत्थु पुत्र रमेश कुमार निवासी ग्राम आमरू थाना गदपुरी जिला पलवल राज्य हरियाणा उम्र करीब 30 वर्ष अस्थायी पता मल्हौर रेलवे स्टेशन के पास चिनहट लखनऊ 03. रजनी पत्नी मनोज कुमार निवासिनी ग्राम आमरू थाना गदपुरी जिला पलवल राज्य हरियाणा अस्थायी पता मल्हौर रेलवे स्टेशन के पास चिनहट लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष 04. रामवती पत्नी महावीर निवासिनी ग्राम रुंदकापुरा थाना सदरबाडी जिला धौलपुर राज्य राजस्थान अस्थायी पता मल्हौर रेलवे स्टेशन के पास चिनहट लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष तथा 05. अनीता पत्नी जयप्रकाश उर्फ जैकी निवासिनी वार्ड नं0- 11 सतीश एडवोकेट हाउस के पास थाना हथीन जिला पलवल राज्य हरियाणा अस्थायी पता मल्हौर रेलवे स्टेशन के पास चिनहट लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष बताया।

पकड़े गये व्यक्तियों/महिलाओं के कब्जे से 01 गले का हार पीली धातु, 02 चैन पीली धातु की, 02 मंगलसूत्र पीली धातु के, 01 माथे का टीका पीली धातु, 01 अदद अंगुठी पीली धातु, 01 जोड़ी कान के टप्स पीली धातु व नगद 29400 रुपये हुए।

बरामद सामान के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 482/2025, मु0अ0सं0- 665/2025, मु0अ0सं0- 680/2025, मु0अ0सं0- 697/2025, मु0अ0सं0- 218/2026 व मु0अ0सं0- 219/2026 व थाना गोमतीनगर पर मु0अ0सं0- 137/2026 का पंजीकृत होना पाया गया। पकड़े गये व्यक्तियों/महिलाओं को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए समय करीब करीब 22:32 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। दौराने कार्यवाही मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशो का अक्षरशः पालन किया।

विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

अभियुक्तगण द्वारा ईरिक्शा-, टैपो में बैठी सवारियों के बैग से कीमती सामान व गहने चोरी कर लेना एवं चोरी के सामान को राह चलते लोगो को बेचकर अपना जीवन यापन करना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व व्यवसाय

1. **जय प्रकाश उर्फ जैकी** पुत्र हीरालाल निवासी वार्ड नं0- 11 सतीश एडवोकेट हाउस के पास थाना हथीन जिला पलवल राज्य हरियाणा अस्थायी पता मल्हौर रेलवे स्टेशन के पास चिनहट लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष (व्यवसाय - गुब्बारे बेचने का काम)

2. **मनोज कुमार उर्फ जत्थु** पुत्र रमेश कुमार निवासी ग्राम आमरू थाना गदपुरी जिला पलवल राज्य हरियाणा उम्र करीब 30 वर्ष अस्थायी पता मल्हौर रेलवे स्टेशन के पास चिनहट लखनऊ (व्यवसाय - गुब्बारे बेचने का काम)

3. **रजनी** पत्नी मनोज कुमार निवासिनी ग्राम आमरू थाना गदपुरी जिला पलवल राज्य हरियाणा अस्थायी पता मल्हौर रेलवे स्टेशन के पास चिनहट लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष (व्यवसाय – कुछ नहीं)

4. **रामवती** पत्नी महावीर निवासिनी ग्राम रुंदकापुरा थाना सदरबाडी जिला धौलपुर राज्य राजस्थान अस्थायी पता मल्हौर रेलवे स्टेशन के पास चिनहट लखनऊ उम्र- करीब 26 वर्ष (व्यवसाय – कुछ नहीं)

5. **अनीता** पत्नी जयप्रकाश उर्फ जैकी निवासिनी वार्ड नं0- 11 सतीश एडवोकेट हाउस के पास थाना हथीन जिला पलवल राज्य हरियाणा अस्थायी पता मल्हौर रेलवे स्टेशन के पास चिनहट लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष (व्यवसाय- कुछ नहीं)

आपराधिक इतिहास अभियुक्ता रामवती उपरोक्त

01. मु0अ0सं0 665/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना मडियांव जनपद लखनऊ
02. मु0अ0सं0 680/2025 धारा 303/317(2) बीएनएस थाना मडियांव जनपद लखनऊ
03. मु0अ0सं0 697/2025 धारा 303/317(2) बीएनएस थाना मडियांव लखनऊ

आपराधिक इतिहास अभियुक्ता रजनी उपरोक्त

01. मु0अ0सं0 665/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना मडियांव जनपद लखनऊ
02. मु0अ0सं0 680/2025 धारा 303/317(2) बीएनएस थाना मडियांव जनपद लखनऊ
03. मु0अ0सं0 697/2025 धारा 303/317(2) बीएनएस थाना मडियांव लखनऊ

04-अनावरित अभियोग:-

01. मु0अ0सं0- 482/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना मडियांव जनपद लखनऊ
02. मु0अ0सं0- 665/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना मडियांव जनपद लखनऊ
03. मु0अ0सं0- 680/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना मडियांव जनपद लखनऊ
04. मु0अ0सं0- 697/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना मडियांव जनपद लखनऊ
05. मु0अ0सं0- 218/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना मडियांव जनपद लखनऊ
06. मु0अ0सं0- 219/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना मडियांव जनपद लखनऊ
07. मु0अ0सं0- 137/2026 धारा 303(2) थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ

अभियुक्तों के अपराधिक इतिहास के बारे में अन्य जनपद/थानों से जानकारी की जा रही है।

05--बरामदगी: -

- 01 गले का हार पीली धातु
- 02 चैन पीली धातु की
- 02 मंगलसूत्र पीली धातु के
- 01 माथे का टीका पीली धातु
- 01 अदद अंगुठी पीली धातु
- 01 जोडी कान के टप्स पीली धातु
- नगद 29400 रुपये

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शिवानन्द मिश्रा थाना मड़ियांव कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 श्री नितिन कुमार
3. उ0नि0 श्री कप्तान सिंह
4. उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र चौधरी
5. उ0नि0 श्री जोशी रघुवंशी
6. उ0नि0 श्री सत्येन्द्र कुमार
7. उ0नि0 श्री अखिलेश सिंह
8. म0उ0नि0 आरजू प्रजापति
9. का0 मंजीत सिंह
10. म0का0 अंजनी
11. म0का0 श्वेता राय





पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-778

दिनांक-12.05.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गुडम्बा

➤ वादिनी के जबरन घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01- संक्षिप्त विवरण

वादिनी मुकदमा द्वारा दिनांक 11.05.2026 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 190/2026 धारा 64(1)बी0एन0एस0 बावत अभि0 विनीत द्वारा वादिनी के साथ जबरदस्ती घर में घुस कर दुष्कर्म करने सम्बन्ध में विरुद्ध विनीत के पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री आलोक शुक्ला द्वारा संपादित की जा रही है।



मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त की पतारसी सुरागरसी के क्रम में आज दिनांक 12/05/2026 को मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विनीत पुत्र रामलाल उम्र 30 वर्ष निवासी

ग्राम जोतपुर पकरिया थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर को कुकरैल जंगल थाना गुडम्बा लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अनावरित अभियोग का विवरण-

01- मु0अ0सं0 190/26 धारा 64(1)) बी0एन0एस0 थाना गुडम्बा लखनऊ।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व व्यवसाय

1. विनीत पुत्र रामलाल उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम जोतपुर पकरिया थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर

04-गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना गुडम्बा लखनऊ

1. उ0नि0 श्री आलोक कुमार शुक्ला
2. उ0नि0 दिवाकर सरोज
3. का0 विजेन्द्र कुमार शर्मा